-प्रेस नोट-

दिनांकः 14.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वाला 01 दुकानदार/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 06 चरखी प्रतिबन्धित चाइनीज मांझा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में प्रतिबन्धित चाइनीज मांझे की बिक्री/इस्तेमाल की रोकथाम हेतु लगातार चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है । अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिग के दौरान प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री करने वाला 01 दुकानदार/ **अभियुक्त सोमपाल पुत्र मौहल्लड निवासी मौ0 गांधी कालोनी (परचून की दुकान) थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को मौहल्ला गांधी कालोनी, देवबन्द से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर 06 चरखी प्रतिबन्धित मांझा बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 0015/2025 धारा 223/125 बीएनएस व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सोमपाल पुत्र मौहल्लड निवासी मौहल्ला गांधी कालोनी (परचून की दुकान) थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 06 चरखी प्रतिबन्धित चाईनीज मांझा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र कसाना थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. है0का0 1124 राहुल कुमार थाना देवबंद जिला सहारनपुर
3. का0 1980 योगेश कुमार थाना देवबंद जिला सहारनपुर

दिनांकः 14.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी की 04 मोटरसाईकिल व 01 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओ की रोकथाम व वाहन चोर/नकबजन/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13/14.01.2024 की रात्रि में थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 02 शातिर वाहन चोर/अभियुक्तगण **1.संजू पुत्र करन निवासी ग्राम खुडाना थाना नानौता जनपद सहारनपुर व 2. कृष्ण पुत्र मोहर सिह निवासी ग्राम खुडाना थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को रेलवे फाटक नानौता देवबन्द रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर चोरी की 04 मोटरसाइकिल व 01 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद। **01 मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर UK 17 R 0664 की चोरी के सम्बन्ध मे जनपद देहरादून थाना झबरेडा पर मु0अ0स0-10/25 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत है**। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 09/25 धारा 317(2)/317(5)/318(4)/336(2) बीएनएस पंजीकृत किया। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

विवरण पूछताछः- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो ने अपने अन्य दो साथियो के साथ मिलकर एक मोटरसाईकिल स्पलेन्डर रजि न0 UK 17 R 0664 अब से करीब 04 माह पहले झबरेडा के पास मन्दिर से चोरी की थी तथा अन्य मोटरसाईकिले सहारनपुर व आसपास के जनपदो से चोरी की थी। हमने मोटरसाईकिल पर फर्जी नम्बर प्लेट लगा रखी थी तथा मोटरसाईकिल को छिपाकर खडी की हुई थी जिन्हे आज बेचने की फिराक में थे कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. संजू पुत्र करन निवासी ग्राम खुडाना थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. कृष्ण पुत्र मोहर सिह निवासी ग्राम खुडाना थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर रजिस्ट्रेशन नम्बर UK 17 R 0664 (सम्बन्धित मु0अ0स0 10/25 धारा 303(2) धारा थाना झबरेडा हरिद्वार)
- 01 मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर रजिस्ट्रेशन नम्बर HP 17 A 3610
- 01 मोटरसाईकिल बजाज डिस्कवर रजिस्ट्रेशन नम्बर HR 05 AK 0738
- 01 मोटरसाईकिल हीरो स्पलेण्डर बिना नम्बर

- 01 फर्जी नम्बर प्लेट (सम्बन्धित मु0अ0स0 09/25 धारा 317(2)/317(5)/318(4)/336(2) बीएनएस थाना नानौता सहारनपुर)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री धीरज सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. है0का0 823 नीरज थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. है0का0 820 अनुज थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक - 14.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों में 03 NBW वारण्टी अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 14.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा अलग-अलग मामलों में 03 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्तगण **1. सूर्यकान्त पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी ग्राम मौहल्ला कायस्तान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 11692/24 धारा 4/10 एफ एक्ट में मौहल्ला कायस्तान से, **2. गुलजार अहमद पुत्र आशिक निवासी ग्राम लण्ढौरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 5661/24 व मु0अ0स0 135/1993 धारा 5/25ए शस्त्र अधि0 (मा0 न्यायिक मजिट्रेट द्वितीय) को ग्राम लण्ढौरा गुर्जर से एवं **3. यशपाल पुत्र उघल निवासी ग्राम सलेंमपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 778/24 धारा 325/420/120बी/504/506 भादवि (मा0 न्यायालय न्यायिक मजिट्रेट प्रथम) में ग्राम सलेमपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. सूर्यकान्त पुत्र स्वं0 चन्द्रप्रकाश नि0 ग्राम मौ0 कायस्तान कस्बा व थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर
2. गुलजार अहमद पुत्र आशिक नि0 ग्राम लण्ढौरा गुर्जर थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनुर
3. यशपाल पुत्र उघल नि0 ग्राम सलेंमपुर थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहासः-

1.अभियुक्त गुलजार -- मु0अ0स0 01/2005 धारा 307, 393 भादवि थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर
2.अभियुक्त सूर्यकान्त--मु0अ0स0 21/24 धारा 4/10 एफ एक्ट थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
3.अभियुक्त यशपाल--मु0अ0स0 52/23 धारा 379/420/120बी/504/506 भादवि थाना रामपुर मनि0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री लक्ष्मण सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री जसपाल सिह थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री आनन्दपाल सिह थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
6. का0 2503 राहुल कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
7. कां0 1441 अजीत नैन थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
8. का0 95 विक्रान्त सरोहा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 14.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वाला 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 100 चरखी प्रतिबन्धित चाइनीज मांझा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में प्रतिबन्धित चाइनीज मांझे की बिक्री/इस्तेमाल की रोकथाम हेतु लगातार चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 14.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान क्षेत्र मे वसन्त पंचमी के अवसर पर प्रतिबन्धित चाइनीज मांझे बिक्री करते हुए 02 स्कूटी सवार अभियुक्तगण **1. फरहान पुत्र अतीक अहमद निवासी सराय मर्दान अली शक्को वाली गली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर व 2. मौहम्मद सुहेल पुत्र अब्दुल हफिज निवासी पुरानी मण्डी सराय हिसामुद्दीन निकट अरोमा डेल स्कूल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को जे0वी0 जैन कालिज से खाताखेडी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से **दो प्लास्टिक के कट्टे मे प्रतिबन्धित चाईनीज माँझे की 100 चरखी/गिट्टी (वजन करीब 49.30 किग्रा) बरामद** । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 30/2025 धारा 223(बी)/125 बीएनएस व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. फरहान पुत्र अतीक अहमद निवासी सराय मर्दान अली शक्को वाली गली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. मौहम्मद सुहेल पुत्र अब्दुल हफिज निवासी पुरानी मण्डी सराय हिसामुद्दीन निकट अरोमा डेल स्कूल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

विवरण बरामदगी –

- 100 चरखी/गिट्टी प्रतिबन्धित चाइनीज मांझा

अभियुक्त फरहान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 283/22 धारा 188/336 भादवि 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम थाना मण्डी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार चौकी प्रभारी खाताखेड़ी कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राजकुमार त्यागी चौकी प्रभारी शाहबहलोल कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. है0का0 451 अमित कुमार कोतवाली मण्डी सहारनपुर
4. का0 500 विकल सोम कोतवाली मण्डी सहारनपुर

दिनांकः 14.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द साइबर हेल्प डेस्क द्वारा आनलाइन फ्राड के माध्यम से ठगी में गयी कुल 90,000/- रूपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

अवगत कराना है कि दिनांक 07.10.2024 को वादी/पीडित आरिफ पुत्र अशरफ निवासी मौहल्ला कायस्थवाड़ा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी को आनलाइन टास्क के माध्यम से पैसे कमाने का लालच देकर कुल 90,000/- रूपये की धनराशि ठग लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना देवबन्द साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा शिकायत सं0 3310475269852 दर्ज की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी धनराशि पीडितो के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व मे थाना देवबन्द पुलिस द्वारा दिनांक 22/11/2024 को थाना देवबन्द साइबर हेल्प डेस्ट टीम **पीडित आरिफ पुत्र अशरफ निवासी मौहल्ला कायस्थवाडा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** की साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी कुल 90,000/- रूपये की धनराशि को विवेचना के दौरान विधिक कार्यवाही के उपरान्त जयपुर (राजस्थान) ब्रान्च पीएनबी बैंक मे होल्ड कराया गया था। आज दिनांक 14/01/2025 को थाना देवबन्द साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा पीडित की ठगी में गयी 90,000/- रूपये की धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी। पीडित द्वारा ठगी गयी 90,000/- रूपये की शतप्रतिशत धनराशि खाते में वापस पाकर पीडित ने थाना देवबन्द साइबर हेल्प डेस्क टीम का आभार व्यक्त किया गया।

पीडित का नाम व पताः-

आरिफ पुत्र अशरफ निवासी मौहल्ला कायस्थवाडा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

साइबर ठगी के रूपये वापस कराने वाली साईबर टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. स0उ0नि0 कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी रूपेन्द्र सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर
3. का0 2163 उमेश कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।
4. म0का0 हिमानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 14.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन क्लीन" के अन्तर्गत लदावा/लावारिश कुल 57 वाहनों की नीलामी कराकर, कुल 5,68,760 रुपये (जीएसटी सहित) का राजस्व प्राप्त किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में मालो के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे **"ऑपरेशन क्लीन"** अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी बेहट के कुशल नेतृत्व में एवं उपजिलाधिकारी बेहट श्री मानवेन्द्र सिंह, सहायक सम्भागीय निरीक्षक (आर0टी0ओ0 कार्यालय) सहारनपुर व थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर की मौजूदगी में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना फतेहपुर परिसर में ख़डे कुल 57 लदावा/लावारिश वाहनों जिनकी आरटीओं कार्यालय द्वारा मूल्यांकन धनराशि 1,37,700/- रुपये निर्धारित की गई। कार्यक्रम अनुसार थाना फतेहपुर परिसर में नीलामी करायी गई। जिसमें कुल 84 बोली दाताओं द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली लगायी गई। **बोली दाता श्री सतीश कुमार पुत्र हरवंशलाल निवासी देहरादून टोकन नं0 17 द्वारा उच्चतम बोली 4,82,000/- रुपये लगायी गयी।** उच्चतम बोली दाता के हक में नीलामी छोड़ी गयी। कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 के साथ कुल धनराशि 5,68,760/- रू0 राज कोष मे जमा की जायेगी।

नीलामी हुए वाहनों का विवरणः-

- 56 वाहन दो पहिया
- 01 वाहन चार पहिया

नीलामी कराने वाली टीम का विवरणः-

1. श्री अभितेष सिंह क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर
2. श्री मुकुल सागर नायब तहसीलदार तहसील बेहट सहारनपुर
3. सहायक सम्भागीय निरीक्षक आर0टी0ओ0 कार्यालय सहारनपुर
4. श्री धर्मेन्द्र कुमार थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. श्री भूपेन्द्र शर्मा व0उ0नि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर
6. हैड मोहर्रिर 980 नीतू कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर

दिनांकः 14.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मंदिर में चोरी करने वाले 02 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई 02 पीतल की मूर्ति, दीपक, कटौरी, प्लेट व जल पात्र बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 14.01.2025 को वादी श्री अनुज शर्मा पुत्र स्व0 राकेश शर्मा नि0 गणपति धाम मन्दिर मौ0 गणपति विहार कालोनी थाना जनकपुरी सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत 02 अज्ञात चोर द्वारा मन्दिर से मूर्ति आदि सामान को चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे दिया गया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 012/25 धारा 305(D) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु चोरी/नकबजनी/लूट आदि घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकाश मे आये अभियुक्तगण **1.आशीष पुत्र अनिल निवासी बाल्मीकि बस्ती जनता रोड थाना को0नगर जनपद सहारनपुर तथा 2. चिराग उर्फ कल्लू पुत्र दीपक वाल्मीकि निवासी बाल्मीकि बस्ती जनता रोड थाना को0नगर जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की गई 02 पीतल की मूर्ति, दीपक, कटौरी, प्लेट व जल पात्र बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/3/5 बीएनएस की वृद्धि की गई। अभियुक्तगणो के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. आशीष पुत्र अनिल निवासी बाल्मीकि बस्ती जनता रोड थाना को0नगर जनपद सहारनपुर।
2. चिराग उर्फ कल्लू पुत्र दीपक वाल्मीकि नि0 बाल्मीकि बस्ती जनता रोड थाना को0नगर जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त आशीष का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 192/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जनकपुरी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

02 मूर्ति पीतल धातू, छोटा दीपक, कटौरी, प्लेट, जल पात्र

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री श्याम सिह, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. है0का0 731 पोपिन, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. है0का0 103 राजेन्द्र सिह,थाना जनकपुरी, सहारनपुर।